न्यायालय- विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 533/2021

सरकार प्रति मनोज आदि

मुकदमा अपराध संख्या- 34/2019

धाराः 147,323,325,504,506 भा.दं.स

थाना अलीनगर, जिला- चन्दौली।

आ रो प

मैं, विनय कुमार सिंह-III, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्तगण-

1. **मनोज कुमार**
2. **उमेशकुमार**
3. **संतरा देवी**
4. **विशाल**
5. **सचिन**
6. **मानिकचन्द्र**
7. **आकाश**

को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :-

प्रथम-यह कि घटना दिनांक 07.11.2018 को समय सायं 20 बजे स्थान ग्राम मवई खुर्द, थाना अलीनगर, जिला चंदौली में आप अभियुक्तगण द्वारा राय होकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर विधि विरूद्ध जमाव कारित किया गया इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0स की धारा 147 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई बचाने आये तो उनको भी लाठी डण्डा से मार कर साधारण उपहति कारित किया गया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाई बचाने आये तो उनको भी लाठी डण्डा से मार कर गंभीर उपहति कारित किया गया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

चतुर्थ-यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके भाइयों को भद्दी-2 गालियॉं देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम-यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी

मुकदमा व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दिया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आप लोगो को निर्देशित करता हूॅं कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।
दिनांक 06.09.2022ई0

(विनय कुमार सिंह-III)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मॉंग किया ।
दिनांक 06.09.2022 ई0

(विनय कुमार सिंह-III)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट
चन्दौली।